

841

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक/2019

ज्ञाप सं०-2/वि.60-99/2018-...../ विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-51 दिनांक-25.06.2019 (प्रति संलग्न) की कंडिका-3 एवं अनुलग्नक निम्नरूप से प्रतिस्थापित किया जाता है।

“3. इस राशि की निकासी, अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा संलग्न सूचीनुसार कलाकार/दल/उद्घोषक/संयोजक के मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा।”

2. स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं०-2/वि.1-48/2011-...../ पटना, दिनांक/2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं०/ पटना, दिनांक/2019

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं० 101/ पटना, दिनांक 12/7/2019

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/उप निदेशक (कला एवं संस्कृति)/प्रशाखा पदा०-1 एवं 2/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/प्रबंधक, आई०टी०, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी संबंधित कलाकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18
12-7-19

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।